प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनाँक 12.09.2026**

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 315/26 धारा 317(5) बी.एन.एस. में वांछित 25 हजार रुपये के इनामिया 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था) में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 मोटरसाइकिल पैशन प्रो बिना नम्बर प्लेट बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.05.2026 को थाना बड़ौत पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान अभियुक्त नीरज पुत्र राजेन्द्र निवासी गढ़ी मोहल्ला, ग्राम वाजिदपुर, थाना बड़ौत, जनपद बागपत, उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 02 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुईं। बरामद मोटरसाइकिलों में पहली मोटरसाइकिल अपाचे रजिस्ट्रेशन संख्या DL5SAB6451 है, जो मु0अ0सं0 297/2026 से संबंधित पाई गई तथा दूसरी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्रो रंग काला रजिस्ट्रेशन संख्या HR10Y2003 है, जो हरियाणा राज्य से चोरी की गयी थी। इसी दौरान अभियुक्त सचिन पुत्र राजकुमार निवासी रामनगर, बिनौली रोड बस स्टैंड, थाना बड़ौत, जनपद बागपत द्वारा उक्त स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल संख्या HR10Y2003 को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। अभियुक्त नीरज की गिरफ्तारी एवं दोनों मोटरसाइकिलों की बरामदगी के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 315/2026 धारा 317(5) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 11.09.2026 को थाना बड़ोत पुलिस टीम द्वारा बड़ौत-डौला नहर पटरी पर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिसे पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया। मोटरसाइकिल सवार द्वारा रुकने के बजाय पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई तथा मौके से भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा पीछा किए जाने पर मोटरसाइकिल सवार लगातार भागने का प्रयास करता रहा। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई नियंत्रित जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त सचिन पुत्र राजकुमार निवासी रामनगर, बिनौली रोड बस स्टैण्ड, थाना बड़ौत, जनपद बागपत के दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। घायल अभियुक्त को पुलिस द्वारा तत्काल उपचार हेतु सीएचसी बड़ौत भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 खोखा कारतूस .315 बोर तथा 01 मोटरसाइकिल पैशन प्रो बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई है।

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही नियमानुसार प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सचिन पुत्र राजकुमार निवासी मौ0 रामनगर बिनौली रोड बस स्टैण्ड थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 26 वर्ष **(घायल अवस्था में)**

नोट-श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा अभियुक्त सचिन पुत्र राजकुमार निवासी रामनगर, बिनौली रोड बस स्टैण्ड, थाना बड़ौत, जनपद बागपत की गिरफ्तारी हेतु ₹25,000/- का इनाम घोषित किया गया था ।

बरामदगी का विवरण-

- **01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर,**
- **01 मोटरसाइकिल पैशन प्रो बिना नम्बर प्लेट**

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 791/17 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली बागपत।
2.मु0अ0सं0 1028/17 धारा 307 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।
3.मु0अ0सं0 1029/17 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बड़ौत
4.मु0अ0सं0 1342/17 धारा 2/3 गिरोहबन्द अधि0 भादवि थाना बड़ौत
5.मु0अ0सं0 107/19 धारा 379/411 भादवि थाना बड़ौत
6.मु0अ0सं0 318/19 धारा 379/411 भादवि थाना बड़ौत
7.मु0अ0सं0 1178/22 धारा 147/427/504/506 भादवि थाना बड़ौत
8.मु0अ0सं0 1168/22 धारा 379/411 भादवि थाना बड़ौत
9.मु0अ0सं0 0039/24 धारा 13 जुआ अधि0 थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
10.मु0अ0सं0 315/26 धारा 317(5) बीएनएस थाना बड़ौत जनपद बागपत।
11.मु0अ0सं0 361/2025 धारा 317(5) बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
12.मु0अ0सं0 318/19 धारा 379/411 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।
13.मु0अ0सं0 237/22 धारा 380/411/414/457 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत।
14.मु0अ0सं0 283/22 धारा 379/411/414 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत।
15.मु0अ0सं0 295/22 धारा 380/411/414/457 भादवि बीएनएस थाना रमाला जनपद बागपत।
16. मु0अ0सं0 258/22 धारा 279/304(अ) भादवि थाना रमाला जनपद बागपत।
17. मु0अ0सं0 84/19 धारा 380/411 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत।
18.मु0अ0सं0 108/19 धारा 307/411/414 भादवि थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
19.मु0अ0सं0 109/19 धारा 3/25 ए एक्ट थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर
20.मु0अ0सं0 130/19 धारा 380 भादवि थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 श्री दीक्षित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

2-उ0नि0श्री मुकेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

3-उ0नि0 श्री संदीप राजपूत थाना बडौत जनपद बागपत।

4- उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

5.है0का0 233 गौतम कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

6.का0 373 बबलू कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

7.का0 395 ललित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

8- रि0का0 168 अखिलेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

9. रि0का0 175 प्रताप सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

10. रि0का0 337 शिवम कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

11- का0 666 रघुवीर थाना बडौत जनपद बागपत।

12- का0 301 मुलायम सिहँ थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 12.09.2026

थाना सिंघावली अहीर पर पंजीकृत मुकदमों से सम्बन्धित 82 लीटर अवैध शराब व विस्फोटक सामंग्री 80 कि0ग्रा0 विनिष्टीकरण के सम्बन्ध में

कार्यवाही-

आज दिनांक 12.09.2026 को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार थाना सिंघावली अहीर पर वर्ष 2025-26 के आबकारी अधिनियम के माल व विस्फोटक मांल को क्षेत्राधिकारी नगर, तहसीलदार बागपत, थानाध्यक्ष सिंघावली अहीर की उपस्थिति में सिंघावली अहीर गेट नाले के पास जेसीबी से 10 फीट गड्ढा खुदवाकर कुल 82 लीटर अवैध शराब व 80 कि0ग्रा0 विस्फोटक की विनिष्टीकरण की कार्यवाही की गयी।

प्रेस नोट

थाना बिनौली **दिनाँक- 12.09.2026**

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 251/2026 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित एक गुमशुदा लडके को सकुशल बरामद किया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 251/2026 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित एक गुमशुदा लडका को सकुशल बरामद कर उसके परिजनो के सुपुर्द किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार थाना बिनौली बागपत।

2- का0 892 तेजवीर सिंह थाना बिनौली बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा दिनाँक 12.09.2026

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 328/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. अरसलान उर्फ हरसलान पुत्र इम्तियाज निवासी लाईनपुर मौ0 प्रेमपुरी कस्बा व थाना खेकडा जिला बागपत उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 156/24 धारा 324/352/504/506 भादवि थाना खेकड़ा
2.मु0अ0सं0 449/25 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा
3.मु0अ0सं0 462/25 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा
4.मु0अ0सं0 151/26 धारा 305 बीएनएस थाना खेकड़ा
5.मु0अ0सं0 166/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकड़ा
6.मु0अ0सं0 170/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकड़ा
7.मु0अ0सं0 172/26 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकड़ा

8.मु0अ0सं0 328/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकड़ा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना खेकडा, जनपद बागपत

2-है0का0 81 हिमांशु कुमार थाना खेकडा, जनपद बागपत

3-रि0का0 217 आकाश कुमार थाना खेकडा, जनपद बागपत

प्रेस नोट

थाना दोघट दिनांक 12.09.2026

थाना दोघट पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान 01 महिला अभियुक्ता व 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 22 पेटी अंग्रेजी शराब (कुल 1056 पव्वे) व घटना में प्रयुक्त 01 एक बैगनआर कार बरामद ।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 महिला अभियुक्ता व 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 22 पेटी अंग्रेजी शराब (कुल 1056 पव्वे) मार्का BLUE STROKE EXQUISITE WHISKY FOR SALE IN U.T CHANDIGARH ONLY व घटना में प्रयुक्त 01 एक बैगनआर कार न0 HR55AY0629 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सबंध में थाना दोघट पर मु0अ0स0 302/2026 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. अश्वनी उर्फ गोल्डी पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम सैदपुर खुर्द नथमलपुर थाना बालैनी जनपद बागपत उम्र करीब 28 वर्ष
2.एक महिला ।

बरामदगी का विवरण-

- 22 पेटी अंग्रेजी शराब (कुल 1056 पव्वे) मार्का BLUE STROKE EXQUISITE WHISKY FOR SALE IN U.T CHANDIGARH ONLY ।
- घटना में प्रयुक्त 01 एक बैगनआर कार रंग सफेद रजि0न0 HR55AY0629

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत
2.आबकारी निरीक्षक बडौत श्री अमरनाथ जनपद बागपत
3.है0का0 301 जितेन्द्र थाना दोघट जनपद बागपत
4.है0का0 877 अनिल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत
5.रि0का0 578 संतोष कुमार थाना दोघट जनपद बागपत
6.म0का0 798 खुशबू थाना दोघट जनपद बागपत
7.आबकारी सिपाही दिनेश सोनी जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 12.09.2026**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 अवैध मादक पदार्थ तस्कर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 1108 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पर्दाथ तस्कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 1108 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 603/26 धारा 8/20 NDPS ACT एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- अरबाज पुत्र अल्लाराजी नि0 ग्राम निवाडा सरकारी स्कूल के पास थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 1108 ग्राम अवैध गांजा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार मय थाना बडौत जनपद बागपत।

2- है0का0 821 सोनू कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

3- का0 429 प्रदीप भाटी थाना बडौत जनपद बागपत।